**संख्या-25/2015/279/41-2015-425/12**

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 18 फरवरी, 2015

**विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क टूरिस्ट कैरीडोर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-1636/6-1-1/(398) खीरी/मु0मं0घो0/2014 दिनॉक 07.01.2014 एवं पत्र संख्या-1851/6-1-1(398) खीरी-दुधवा/2015 दिनॉक 30.01.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश सं0-3265/41-2013-425/12, दिनांक 31-12-2013 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क टूरिस्ट कैरीडोर के सौन्दर्यीकरण की योजाना के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-1796.17 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-5.00 करोड की धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी थी। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि रू0 1296.17 लाख के सापेक्ष्य द्वितीय किस्त के रूप में अपेक्षित रू0 800.00 लाख (रू0 आठ करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-20-दुधवा नेशनल पार्क में स्थित गेस्टहाउस का उच्चीकरण तथा पार्क की सडकों का सुदृढीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

**<u>संख्या-25/2015/279(1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमतीनगर, लखनऊ ।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://sinasanadesh.up.nic.in